# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 73 / 2020

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय,नरहरी भवन, आर.टी.आई. के पीछे पुरानी शिवबाड़ी रोड़ पटेल नगर बीकोनेर ।

बनाम

तहसीलदार,भुसावर ।

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## आदेश

**दिनांक 21.10.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नरेन्द्र कुमार पाण्डेय,नरहरी भवन, आर.टी.आई. के पीछे पुरानी शिवबाड़ी रोड़ पटेल नगर बीकोनेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 27.07.2020 तहसीलदार, भुसावर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, भुसावर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 531 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा तहसीलदार,भुसावर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार,भुसावर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, भुसावर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार,भुसावर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, भुसावर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार, भुसावर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार,भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,भुसावर नगर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर